विविध बैंक प्रकरण सं. 36/2020 (RCMS 2020/00090) भारतीय स्टेट बैंक शाखा – मुख्य बाजार, लालगढ जाटान, श्रीगंगानगर जरिये श्री निर्मल सिंह संधु, प्राधिकृत अधिकारी, आरएसीसी, नगरपालिका रोड, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स कपिल ट्रेडिंग कंपनी जरिये पार्टनर–1 श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद पार्टनर–2 श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री विध्या सागर, दुकान नं. 1, कृषि उपज मंडी, लालगढ जाटान, श्रीगंगानगर 2 श्री घनश्याम भादू पुत्र श्री हरीराम निवासी वार्ड नं 11, लालगढ जाटान, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.08.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 06.03.2020 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी **मैसर्स कपिल ट्रेडिंग कंपनी जरिये पार्टनर–1 सुभाष कुमार पार्टनर–2 प्रवीण कुमार एवं घनश्याम भादू** को ऋण सुविधा के रूप में 15.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 10.04.2014 स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी **मैसर्स कपिल ट्रेडिंग कम्पनी के पार्टनर सुभाष कुमार एवं प्रवीण कुमार की व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 01 (प्लेटफार्म एवं गोदाम सहित), धान मंडी, लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर** प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.09.2019 को अनुत्पादक परिसम्पत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 2[illegible]2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

को 15,91,621/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 24.07.2017 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण को दिनांक 25.07.2019 को भिजवाये गये है जिसके परिणामस्वरूप **पोस्ट ऑफिस के नोटिस धारा 13(2) भिजवाने की रसीद की फोटो प्रतियां पत्रावली में उपलब्ध है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी मै. कपिल ट्रेडिंग कंपनी के पार्टनर सुभाष कुमार एवं प्रवीण कुमार **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति दुकान नं. 01 (प्लेटफार्म एवं गोदाम सहित), धान मंडी, लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण मैसर्स कपिल ट्रेडिंग कंपनी जरिये पार्टनर–1 सुभाष कुमार पार्टनर–2 प्रवीण कुमार एवं घनश्याम भादू** को 15.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 10.04.2014 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी मै. कपिल ट्रेडिंग कंपनी के पार्टनर सुभाष कुमार एवं प्रवीण कुमार **द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 20(क्षेत्रफल [illegible] वर्गफीट), चक 19 आरबी, रायसिंहनगर** प्रार्थी बैंक के [illegible] बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

का खाता दिनांक **30.06.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थी ऋणियों मैसर्स कपिल ट्रेडिंग कंपनी जरिये पार्टनर–1 सुभाष कुमार पार्टनर–2 प्रवीण कुमार को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 25.07.2019 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है परन्तु अप्रार्थी घनश्याम भादू को धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की पोस्ट ऑफिस की रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इसीप्रकार** धारा 13(2) के नोटिस के ऑन लाईन ट्रैक और पावती रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी मै. कपिल ट्रेडिंग कम्पनी को जारी नोटिस की पावती रसीद पर पार्टनर सुभाष कुमार के हस्ताक्षर है और सुभाष कुमार की पावती रसीद पर स्वयं सुभाष कुमार के, प्रवीण कुमार की पावती रसीद पर स्वंय प्रवीण कुमार के और **घनश्याम भादू की पावती रसीद पर भी अन्य व्यक्ति सुभाष कुमार के हस्ताक्षर है,** जिनकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि/वस्तु जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी मै. कपिल ट्रेडिंग कंपनी के पार्टनर सुभाष कुमार [illegible] प्रवीण कुमार **की अचल सम्पत्ति दुकान नं. 01 (प्लेटफार्म [illegible] मण्डी, लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर** [illegible] प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट श्री गंगानगर

इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 24.07.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 24.07.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस दिनांक 25.07.2019 से अप्रार्थी मै. कपिल ट्रेडिंग कंपनी के पार्टनर सुभाष कुमार एवं प्रवीण कुमार को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है परन्तु **अप्रार्थी घनश्याम भादू को धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।** इसीप्रकार धारा 13(2) के नोटिस की पावती रसीद पर मै. कपिल ट्रेडिंग कंपनी, सुभाष कुमार एवं प्रवीण कुमार के स्वयं के हस्ताक्षर है **परन्तु अप्रार्थी घनश्याम की पावती रसीद पर सुभाष कुमार के हस्ताक्षर है,** जिनकी प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध है। वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 3(3) के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों और जमानतियों को धारा 13(2) का 60 दिवस के नोटिस की तामील ऋणी और गांरटर स्वयं पर या इनके द्वारा इस निमित्त अधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इसलिए **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत नियम 3(3) के अनुसार जमानती घनश्याम भादू की तामील नहीं होने के कारण उस पर धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील नहीं मानी जा सकती जबकि उक्त सभी ऋणियों और गारंटर पर तामील होना आवश्यक है।** इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार करने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.202 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **खारिज किया जाता है।** प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 के नियम 3(3) की पूर्ण पालना करते हुए ऋणियों एवं गांरटर के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही पुनः नये सिरे से कर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:46 IST
Reason: SelfAttested